मोहम्मद हुसैन बनाम राजस्थान सरकार
2023/99
निर्णय दिनांकः–12.07.2023

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/99 दर्ज तिथिः–12.11.2025

1. मो. हुसैन उर्फ सदीक पुत्र नबी बक्श जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 03, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी 50 गरीब नवाज कॉलोनी, पाली (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री सुरेन्द्र राहड़
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 88 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 149/4.9827 हैक्ट., 170/10.7874 हैक्ट., 171/6.1968 हैक्ट., 172/0.8853 हैक्ट., 190/0.7588 हैक्ट. व 191/7.7901 हैक्ट कुल तादादी 31.4011 हैक्ट. वाके रोही चूरू पटवार मण्डल चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 688 है तथा पुराने खाता संख्या 401 है, जिसमें वादी का 1/36 हिस्सा है।

वादी का नाम मो. हुसैन पुत्र नबी बक्श की जगह केवल सदीक पुत्र नबी बक्श त्रुटीवश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम मो. हुसैन है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से वादी को सदीक पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटीवश नाम सदीक अंकित हो गया।

राजस्व रिकॉर्ड में वादी सदीक का वास्तविक नाम मो. हुसैन है और ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसका नाम अशुद्ध हो गया है, जिसे संशोधित करवाने करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजस्व रिकॉर्ड में नाम में त्रुटि होने से वादी को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड व पासपोर्ट में नाम मो. हुसैन है। नाम में त्रुटी होने की वजह से वादी को [illegible] में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है। वादी ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार से नाम शुद्ध कराने बाबत कहा, तो वादी ने तहसीलदार चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया पर तहसीलदार ने उक्त दावा संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 01.05.2023 को वाद आधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

नाम संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है, वादी ने दिनांक 01.05.2023 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना–पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होने नाम में संशोधन नहीं करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादी उक्त कृषि का खातेदार काश्तकार होने से उन्हे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

वादगत भूमि रोही चूरू में स्थित है, जिसके संबंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी का वाद मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कृषि भूमि खसरा संख्या 149/4.9827 हैक्ट., 170/10.7874 हैक्ट., 171/6.1968 हैक्ट., 172/0.8853 हैक्ट., 190/0.7588 हैक्ट. व 191/7.7901 हैक्ट कुल तादादी 31.4011 हैक्ट. वाके रोही चूरू पटवार मण्डल चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) में खातेदार सदीक पुत्र नबी बक्श की जगह मो. हुसैन उर्फ सदीक पुत्र नबी बक्श संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड कराया जावें।

(ख) अन्य अनुतोष हितकर वादी हो या हो जावे, वो भी वादी को प्रदान फरमाया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया कि मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करने पर सदीक पुत्र नबी बक्स सपरिवार लगभग 35 वर्षों से जिला पाली (राज.) में निवास कर रहा है। जो शामिल पत्रावली की गई। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावे में अंकित बिन्दओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण वादी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादीगणों के सही नाम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं है।

मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार सदीक पुत्र नबी बक्स सपरिवार लगभग 35 वर्षों से जिला पाली (राज.) में निवास कर रहा है। अधिवक्ता वादी द्वारा दावे में कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वाद साक्ष्यों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण डिक्री किया जाना उचित नहीं है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)